



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2716/2026

सादाब अहमद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: जनार्दन यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, मणिकांत यादव

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के अधिवक्ता, सूचनादाता के अधिवक्ता और राज्य के शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 26.2.2026 को जमानत आवेदन संख्या 825/2026 में पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने और उसे मुकदमा अपराध संख्या 58/2026, धारा 69, 89, 351 (3) बी.एन.एस. और धारा 3 (1) (दा), 3 (1) (धा), 3(2) (5) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के तहत रिहा करने के लिए दायर की गई है।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता पर विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप है।
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया गया है। बहस के दौरान,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अब भी पीड़िता से विवाह करने और उसे अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार और इच्छुक है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलकर्ता 20.2.2026 से जेल में है।

5. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों से असहमति नहीं जताई।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता **सादाब अहमद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

25 मार्च 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"